407
31-7-13

23

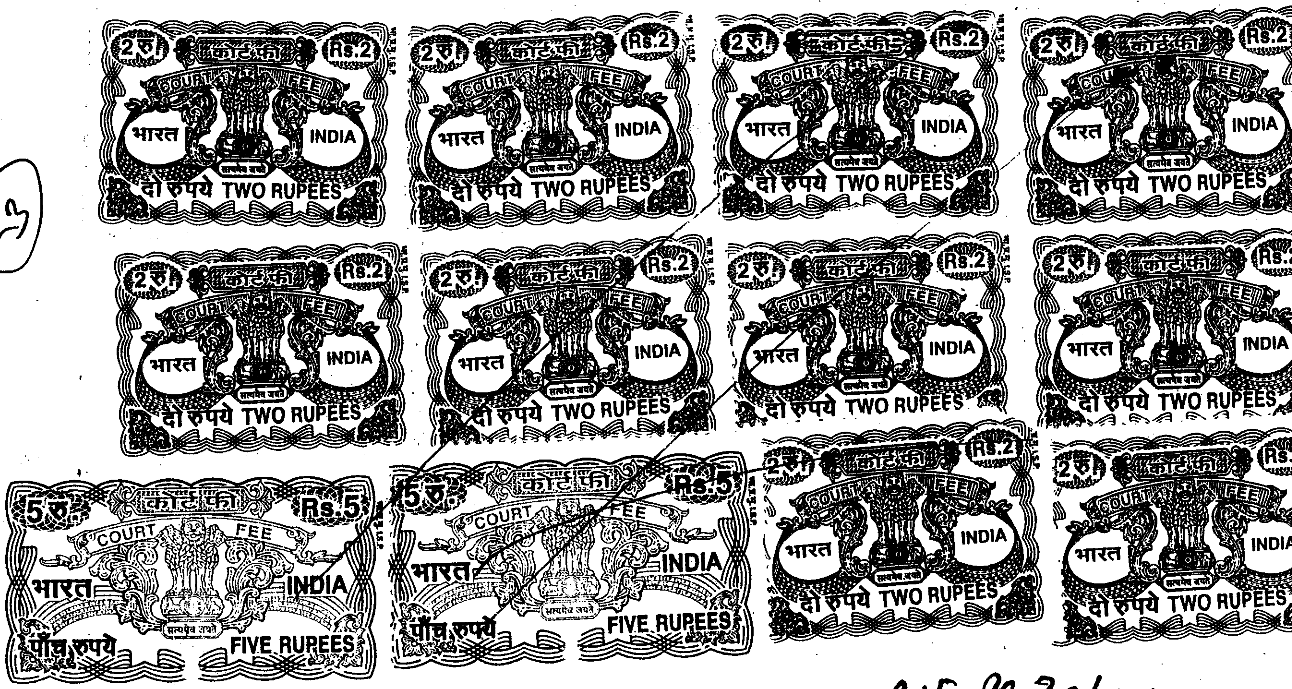

C.F. Rs 30/—

R. 3248 - II/13

जगदीश प्रसाद तनय सूर्यभान बानी उम्र 47 वर्ष पेशा दुकानदारी निवासी ग्राम करौंदिया उत्तर टोला तहसील गोपद बनास जिला सीधी (म0प्र0)

------------ आवेदक

बनाम

रामसिया तनय सूर्यभान गुप्ता उम्र 55 वर्ष पेशा दुकानदारी निवासी हाल मुकाम मऊगंज हिन्दुस्तान बूट हाउस इलाहाबाद रोड के सामने मऊगंज ग्राम तनपाडर तहसील मऊगंज जिला रीवा (म0प्र0) ---- अनावेदक

अधि. श्री के.डी. सिंह द्वारा प्रस्तुत। रीवा, दि० 31.7.13

निगरानी याचिका विरुद्ध आदेश न्यायालय श्री मान् अपर कलेक्टर महोदय सीधी जिला सीधी (म0प्र0) के राजस्व प्रकरण क्रमांक-138/निगरानी/2011-2012 में पारित आदेश दिनांक 30-4-13 जिसके द्वारा अधीनस्थ अपर कलेक्टर महोदय सीधी जिला सीधी के आवेदक निगरानीकर्ता द्वारा प्रथम निगरानी याचिका निरस्त कर दिया है।

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा-50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959,

---

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षेप में विवरण निम्नांकित है :--

(अ) यह कि अनावेदक (गैर निगरानीकर्ता) ने अधीनस्थ तहसीलदार महोदय तहसील गोपद बनास जिला सीधी के न्यायालय में धारा 178,

Typed under my instruction in my office

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0–R.3248–II/13 जिला–सीधी

जगदीश प्रसाद वानी/रामसिया गुप्ता

(1)	(2)	(3)
02.02.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. अनावेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 4. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 5. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	